कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/मा/संस्था/सी–5/नियु. पीएससी 2018/भूगोल/2020–21/35–86 दिनांक–18.03.2021 के तहत् प्रेम सैनी व्याख्याता, भूगोल का आरपीएससी. नियुक्ति प्रदान कर कांउसलिंग द्वारा पदस्थापन राउमावि. दांतडा (214426) हुरडा भीलवाडा किया गया।

उक्त पदस्थापन के विरूद्व प्रेम सैनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 18040/2021 प्रेम सैनी, बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.01.2022 में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वेदना के संबंध में शीघ्रताशीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी द्वारा स्वयं के रीढ की हड्डी में गम्भीर लाईलाज बीमारी से ग्रसित होने एवं अल्पायु पुत्री की देखभाल करने के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन 01. राउमावि. बलोद छोटी, (213138) सीकर 02. राउमावि. कांकरा (213326) सीकर 03. राउमावि. इनडाली (219923) सीकर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी का पदस्थापन नियमानुसार कांउसलिंग प्रक्रिया आयोजित कर किया गया है। उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/प्रेम सैनी/18040/21/अभ्या./20–21 दिनांकः– 11.04.22

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
  01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
  02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा...........................।
  03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
  04. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर....................................।
  05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
  07. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
  08. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर